न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम अलवर)राज0

पीठासीन अधिकारीः— बलवन्तसिंह लिग्गी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
148 / 13	01 / 07 / 2013	24-07-2014

उनवान

1 असरफी पत्नी पतराम जाति अहीर ग्राम कुमपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:—प्रार्थीया

बनाम

1 इन्द्राज,
2 तोताराम,
3 होराम पुत्रान श्री मोहन जाति गुर्जरान ग्राम सालखर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)।
4 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरसोली जरिये शाखा प्रबंधक हरसोली।
5 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)।

:— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. टी. एक्ट आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जा.दी.

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

उपस्थितः–

1 श्री रामफल यादव – अभिभाषक प्रार्थीया।

2 श्री नरहरि व्यास – अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 3

निर्णय

प्रार्थिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. टी.एक्ट आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जा.दी.बाबत विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 128/0.36, 172/0.38 हैक्टेयर वाके ग्राम सालखर तहसील कोटकासिम (अलवर) पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजीयात के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 3 होराम था जिसने विवादित आराजीयात मे अपने समस्त 1/2 भाग को मिन प्रार्थीया से समस्त प्रतिफल की राशि प्राप्त कर जरिये बयनामा दिनांक 06.05.2013 को बेचान कर दिया । वक्त खरीद ही अप्रार्थी संख्या 3 होराम ने विवादित आराजीयात में अपने 1/2 भाग पर मिन प्रार्थीया को कब्जा हल चलवाकर सौंप दिया था। वक्त खरीद से ही मिन प्रार्थीया विवादित आराजीयात मे अप्रार्थी संख्या 3 होराम के 1/2 हिस्से पर बदस्तूर काबिज व दखिल होकर काश्त करती चली आ रही है। राजस्व रिकॉर्ड मे अमल खरीदशुदा भूमि का मिन प्रार्थीया के नाम हो रहा है। यानि विवादित आराजीयात का 1/2 भाग मिन प्रार्थीया की खरीदशुदा खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात है, परंतु बाहमी बंटवारा के अनुसार विवादित आराजीयात बटी हुई है। राजस्व रिकॉर्ड मे विवादित आराजीयात मिन प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम शामलाती दर्ज है। वक्त बेचान से विवादित आराजीयात के किसी भी जुज पर अप्रार्थी संख्या 3 का कब्जा काश्त नही रहा है वो गैरवास्ता, गैरकाबिज विवादित आराजी है। मिन प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से आपसी बंटवारा के अनुसार बंटी हुई विवादित आराजीयात के अनुसार दिनांक 30.06.2013 को राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करने हेतु कहा तो वे साफ इंकार हो गए तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मिन

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया को ऐलानियां तौर पर धमकिया दी कि विवादित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड मे शामलाती है। हम इस आराजी को दीगर लोगो को बेचान करेंगे और तुझे तेरे हिस्से से बेदखल करके कब्जा करेंगे तथा काश्त नही करने देंगे। अप्रार्थी संख्या 3 ने भी दिनाक 30.06.2013 को ही मिन प्रार्थीया के हिस्से के कब्जा काश्त मे मजागहत व मदालखत पैदा की व जबरन अपना कब्जा करने का असफल प्रयास किया। यदि अप्रार्थीगण अपने इन नापाक ईरादो में कामयाब हो गए तो मिन प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत मे रूपयों मे नही आंकी जा सकेगी। इसलिए मिन प्रार्थीया अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाइ चदरोजा से पाबंद करवाने की अधिकारिणी है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थीया है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाइ चंदरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात हाल खरारा नम्बरान 128/0.36, 172/0.38 हैक्टेयर वाके ग्राम सालखर तहसील कोटकासिम (अलवर) को कही दीगर रहन, बय, हिबा, लीज ईत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थीया के हिस्से के कब्जा काश्त मे मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जबरन बेखल करे, ना कब्जा करे, मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे कहा कि आराजी मुतदाविया के खातेदार इन्द्राज पुत्र मोहन 1/4 हिस्सा, तोता पुत्र मोहन 1/4 हिस्सा यानि कि प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा रहा । प्रतिवादी नम्बर 3 होराम द्वारा बाहमी तौर पर 40 वर्षों पूर्व मौके पर आराजी मुतदाविया को हिस्से अनुसार तकसीम कर विवादित खसरा नम्बरान का तरफ दक्षिण 1/2 भाग प्रतिवादीगण 1 व 2 को तथा तरफ उत्तर का हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 3 होराम ने अपने हिस्से मे रखा व इसी अनुसार काबिज रहते हुए काश्त करते चले आ रहे

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

हैं। प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा विवादित आराजी मे अपना 1/2 हिस्सा उत्तर की तरफ का वादनी को बेचान किया तथा वादनी ने खसरा नम्बर 172 होराम से खरीद किया था। उसको होराम की पत्नी सरबती को बेचान कर दिया। मुस्म्मात सरबती पत्नी होराम आवश्यक पक्षकार है जिसे वादनी ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। जिससे वाद काबिल खारिज है। वादनी ने अपने प्रार्थना पत्र मे शामलात मे काबिज व दखिल होकर काश्त करना गलत दर्ज किया है। जबकि प्रतिवादी नम्बर 3 जो 1/2 हिस्से का खातेदार था प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 जो 1/2 हिस्सा के खातेदार थे जिन्होने वर्षो पूर्व दोनों खसरा नम्बरान को सुविधा अनुसार आधा–आधा बांटकर डोल कायम कर काबिज व दखिल चले आ रहे है व दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ तथा होराम ने जो खसरा नम्बर 172 मे जो आधा हिस्सा वादनी को विक्रय किया था वो भी वापस अपनी पत्नी के नाम जरिये बयनामा प्राप्त कर लिया। लिहाजा खसरा नम्बर 172 के बाबत आज दिन वादनी को कोई राईट टू ईश्यु नहीं है। वादनी का यह कथन भी गलत है कि आज तक बंटवारा नहीं हुआ। वादनी ने बंटे हुए खेत का मौके की स्थिति के अनुसार उत्तर भाग को खरीदा है। राजस्व रिकॉर्ड मे अमल आने से व वादनी के मन व दिल–दिमाग मे बदयान्ति आ जाने के कारण वाद पत्र पेश किया है। वादीया ने दिनांक 30.06.2013 की कहानी बनावटी, मनगंढन्त व मिथ्या गलत दर्ज की है। वादनी हम जवाबदारान के खिलाफ कोई किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। वादनी के हक मे कोई सुविधा को संतुलन नही है और ना ही वादनी को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति होती है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे प्रा0पत्र i दर्ज तथ्यों का दोहराते हुऐ कहा कि अप्रार्थी संख्या 3 होराम विवादित आराजीयात के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार था जिसने विवादित आराजीयात में अपने समस्त 1/2 भाग को मिन प्रार्थीया से समस्त प्रतिफल की राशि प्राप्त कर जरिये बयनामा दिनांक 06.05.2013 को बेचान कर दिया व मिन प्रार्थीया को कब्जा हल चलवाकर सौप दिया। वक्त खरीद से ही मिन प्रार्थीया विवादित आराजीयात मे अपने खरीद शुदा 1/2 हिस्से पर बदस्तूर काबिज व दखिल होकर काश्त करती चली आ रही है। राजस्व रिकॉर्ड मे खरीदशुदा भूमि का अमल मिन प्रार्थीया के नाम हो रहा है। बाहमी बंटवारा के अनुसार विवादित आराजीयात मौके पर बंटी हुई है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजीयात मिन प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम शामलाती दर्ज है। वक्त बेचान से विवादित आराजीयात के किसी भी हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 3 का कब्जा काश्त नही रहा है वह गैरवास्ता, गैरकाबिज विवादित आराजी है।

बहस में आगे कहा कि मिन प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से आपसी बंटवारा के अनुसार बंटी हुई विवादित आराजीयात के अनुसार दिनांक 30.06.2013 को राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करने हेतु कहा तो वे साफ इंकार हो गए तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मिन प्रार्थीया को ऐलानियां तौर पर धमकियां दी की विवादित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती है। इसका बेजा फायदा उठाते हुऐ वह इस आराजी को दीगर लोगों को बेचान करेगें और तुझे तेरे हिस्से से बेदखल करके कब्जा करेंगे तथा काश्त नही करने देंगे। अप्रार्थी संख्या 3 ने भी दिनांक 30.06 2013 को ही मिन प्रार्थीया के हिस्से के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा की व जबरन अपना कब्जा करने का असफल प्रयास किया। यदि अप्रार्थीगण अपने इन नापाक ईरादों में कामयाब हो गए तो मिन प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत मे

उप खण्ड अधिकारी
ओसियां (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिए मिन प्रार्थीया अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाइ चंदरोजा से पाबंद करवाने की अधिकारी है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति वहक मिन प्रार्थीया है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाइ चंदरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात को कहीं दीगर रहन बय हिबा लीज ईत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थीया के हिस्से के कब्जा काश्त मे मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जबरन बेखल करे, ना कब्जा करे, मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने जवाब–पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुऐ कहा कि विवादित आराजी के खातेदार इन्द्राज पुत्र मोहन 1/4 हिस्सा, तोता पुत्र मोहन 1/4 हिस्सा यानि कि प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा रहा । प्रतिवादी नम्बर 3 होराम द्वारा बाहमी तौर पर 40 वर्षो पूर्व मौके पर आराजी मुतदाविया को हिस्से अनुसार तकसीम कर विवादित खसरा नम्बरान का तरफ दक्षिण 1/2 भाग प्रतिवादीगण 1 व 2 को तथा तरफ उत्तर का हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 3 होराम ने अपने हिस्से मे रखा व इसी अनुसार काबिज रहते हुए काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा विवादित आराजी मे अपना 1/2 हिस्सा उत्तर की तरफ का वादनी को बेचान किया तथा वादनी ने खसरा नम्बर 172 होराम से खरीद किया था उसे होराम की पत्नी सरबती को बेचान कर दिया। मुस्म्मात सरबती पत्नी होराम आवश्यक पक्षकार है जिसे वादनी ने पक्षकार मुकदमा नही बनाया जिससे वाद काबिल खारिज है। वादनी ने अपने प्रार्थना पत्र मे शामलात में काबिज व दखिल होकर काश्त करना गलत दर्ज किया है जबकि प्रतिवादी नम्बर 3 जो 1/2 हिस्से का खातेदार था प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 जो 1/2 हिस्से के खातेदार थे जिन्होने वर्षो पूर्व दोनो खसरा नम्बरान को सुविधा अनुसार आधा–आधा बांटकर डोल कायम कर काबिज व दखिल चले आ रहे है व

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ तथा छोगाम ने जो खसरा नम्बर 172 मे जो आधा हिस्सा वादनी को विक्रय किया था वो भी वापस अपनी पत्नी के नाम जरिये बयनामा प्राप्त कर लिया। लिहाजा खसरा नम्बर 172 के सम्बन्ध में अब वादनी को कोई राईट टू ईश्यु नही है। वादनी का यह कहना गलत है कि आज तक बंटवारा नहीं हुआ। वादनी ने बंटे हुऐ खेत का मौके की स्थिति के अनुसार उत्तर भाग को खरीदा है। राजस्व रिकॉर्ड मे अमल आने से व वादनी के मन व दिल–दिमाग मे खोट आ जाने के कारण वाद पत्र पेश किया है। वादीया ने दिनांक 30 06.2013 की कहानी बनावटी, मनगंढन व मिथ्या गलत दर्ज की है। वादनी हम जवाबदारान के खिलाफ कोई किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। वादनी के हक में कोई सुविधा को संतुलन नही है और ना ही वादनी को किसी प्रकार की कोई क्षति होती है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से न्यायिक दृष्टान्त 2009 (1) RRT Page 5,1995 RLW(2) Page 528, 2004 RRD Page 65, 1999 RRC Page 447 पेश किये ।

उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र हु0ई0दवामी में तीन बिन्दु विचारणीय होते है। 1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का सन्तुलन 3. अपूरणीय क्षति। विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सह–खातेदारी की आराजी है रिकार्डेड सह खातेदारी काश्तकारी की आराजी पर सभी सह–काश्तकार का कब्जा प्रत्येक इंच पर होता है उनमें से किसी एक सह–खातेदार काश्तकार द्वारा दूसरें सह–खातेदार काश्तकार के विरुद्ध हुकमइम्तनाई दवामी प्राप्त नहीं की जा सकती । मेरे द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का आद्योपान्त अवलोकन किया । अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

साबित नहीं होता है। सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के हक में साबित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राज. टी. ऐ. आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जा. दी. बावत विवादित आराजी हाल खं0 नं0 128/0.36, 172/0.38 हैक्टेयर वाके ग्राम सालखर तहसील कोटकासिम जिला अलवर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24-07-2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिखी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner